



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, जुलाई 15—जुलाई 21, 2018, शनिवार/आषाढ़ 24—आषाढ़ 30, 1940
No. 17] NEW DELHI, JULY 15—JULY 21, 2018, SATURDAY/ASADHA 24—ASADHA 30, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(सीमा सड़क संगठन)

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2018

का.नि.आ. 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल, समूह 'ग' और 'घ' पद भर्ती नियम, 1982 और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल (अधीक्षक भंडार और अधीक्षक गैर तकनीकी) भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक उसका संबंध पर्यवेक्षक गैर तकनीकी ग्रेड। और अधीक्षक गैर तकनीकी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल, सीमा सड़क संगठन में वरिष्ठ पर्यवेक्षक (प्रशासन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सीमा सड़क संगठन, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल, वरिष्ठ पर्यवेक्षक (प्रशासन), समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं, आदि : भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता — वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ पर्यवेक्षक (प्रशासन)	61* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसूचित	स्तर-6 (35400-112400 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिषतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।	67 प्रतिषत प्रोन्नति द्वारा, 33 प्रतिषत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या सशस्त्र बल कार्मिकों की पुनर्नियोजन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में ऐसे पर्यवेक्षक (प्रशासन) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पण :- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या विष्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्धसरकारी या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में ऐसे अधिकारी:</p> <p>(अ) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(आ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय या संस्थान में बैचलर डिग्री; और</p> <p>(ii) प्रशासन, लेखा या भंडार संभालने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>सषस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन :</p> <p>नायब सुबेदार या सुबेदार की रैंक के ऐसे सषस्त्र बल कार्मिकों</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अधीक्षण इंजीनियर, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल या समतुल्य — अध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल या समतुल्य — सदस्य 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल या समतुल्य — सदस्य <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अधीक्षण इंजीनियर, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल या समतुल्य — अध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल या समतुल्य — सदस्य 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल या समतुल्य — सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

पर भी जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री की अर्हता है, विचार किया जाएगा और यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मूलक किया जाना है और उन्हें पुनर्नियोजन बने रहने दिया जा सकता है और यदि ऐसे पात्र कार्मिक वास्तविक चयन से पहले उस पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं या रिजर्व में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी। (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)।

टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा.सं. बीआरडीबी/01/05/2016/जीई-1/230/र.(नि.)/2018]

बिष्णुजीत गुहा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE
(BORDER ROADS ORGANISATION)

New Delhi, the 10th July, 2018

S.R.O. 48.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the General Reserve Engineer Force Group 'C' and Group 'D' Recruitment Rules, 1982 and the Ministry of Road Transport and Highways, General Reserve Engineer Force (Superintendent Stores and Superintendent Non-Technical) Recruitment Rules, 2003, in so far as they relate to the post of Supervisor Non-Technical Grade-I and Superintendent Non-Technical, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Supervisor (Administration) in the Ministry of Defence, General Reserve Engineer Force, Border Roads Organisation, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Border Roads Organisation, General Reserve Engineer Force, Senior Supervisor (Administration), Group 'B' (Non-Gazetted) Post, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Supervisor (Administration).	61* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400)	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	67% by promotion, 33% by deputation (including short-term contract) or re-employment of Armed Forces personnel.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Supervisor (Administration) in level-4 in the pay matrix with ten years service in the grade rendered thereto after appointment on regular basis.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers in the Central or State Governments or Union territories or statutory or autonomous organizations or universities or public sector undertaking or semi-Governments or recognized research institute:</p> <p>(A) (I) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(II) With six year service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 in the pay matrix in the parent cadre or Department; or</p> <p>(III) With ten year service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-4 in the pay matrix in the parent cadre or Department; and</p> <p>(B) Possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(I) Bachelor's Degree from a recognised university or institute; and</p> <p>(II) Two years experience in administration, accounts or handling of stores.</p> <p>Re-employment for Armed Forces personnel:</p> <p>Armed Forces personnel of the rank of Nayab Subedar or Subedar who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the qualification of Bachelor's degree from a recognised university or institute shall be considered, and if selected such officers will be given deputation terms upto date on which they are due for release from the Armed Forces and they may be continued on re-</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Superintendent Engineer, General Reserve Engineer Force or equivalent - Chairman 2. Executive Engineer, General Reserve Engineer Force or equivalent - Member 3. Senior Administrative Officer, General Reserve Engineer Force or equivalent - Member. <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Superintendent Engineer, General Reserve Engineer Force or equivalent - Chairman 2. Executive Engineer, General Reserve Engineer Force or equivalent - Member 3. Senior Administrative Officer, General Reserve Engineer Force or equivalent - Member. 	<p>Consultation with UPSC not necessary.</p>

employment terms and in case, such eligible personnel have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis.

(Re-employment upto the age of superannuation with regards to civil posts).

Note: 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note: 2 [Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications].

[F.No. BRDB/01/05/2016/GE-1/230/D(Apts.)/2018]

BISWAJIT GUHA, Under Secy.